भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 384
19.07.2016 को उत्तर के लिए

शहरों में प्रदूषण

384. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में हाल में पर्यावरण प्रदूषण के कारण मृत्यु की घटनाएं एवं प्रदूषित शहरों की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में सबसे प्रदूषित शहरों की पहचान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने शहरों में प्रदूषण के प्रभाव से निपटने के लिए किसी कार्य योजना की शुरुआत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री अनिल माधव दवे)

(क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी), राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और आईआईटी, कानपुर के सहयोग से राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) के तहत देश भर में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। वर्तमान में एनएएमपी नेटवर्क में 29 राज्यों और 5 संघशासित राज्यों में 262 शहरों/नगरों में स्थित 621 प्रचालनरत निगरानी केन्द्र शामिल हैं। सीपीसीबी वर्ष 2011 में 201 शहरों/नगरों में तथा वर्ष 2015 में 257 शहरों/नगरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहा था। वर्ष 2011 में परिवेशी वायु गुण्वत्ता के वार्षिक औसत सांद्रण के विश्लेषण से पता चला है कि 162 शहरों में PM_{10} के संबंध में 60$\mu g/M^3$ के मानक से अधिक हैं और 25 शहरों में NO_2 के संबंध में 40$\mu g/M^3$ के मानक अधिक हैं जबकि 2015 के आंकड़ों से पता चलता है कि 180 शहरों में PM_{10} के संबंध में मानक से अधिक हैं और 19 शहरों में NO_2 के संबंध मानक से अधिक हैं। ऐसा कोई निष्कर्षात्मक डाटा देश में उपलब्ध नहीं है जिसमें पर्यावरणीय प्रदूषण और मृत्यु के बीच सीधा सह-संबंध स्थापित किया जा सके। वायु प्रदूषण श्वास संबंधी रोगों और उनसे जुड़ी बीमारियों को बढ़ाने वाला कारक हो सकता है। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव कई कारकों की सहक्रियाशील अभिव्यंजना हो सकती है जिनमें एक व्यक्ति की खान-पान की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक विकास, चिकित्सा इतिहास, प्रतिरोधक क्षमता, वंशानुगतता इत्यादि शामिल हैं।

(घ) प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित करना;

(ii) पर्यावरण संबंधी विनियमनों/संविधियों का प्रतिपादन;

(iii) परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन हेतु निगरानी तंत्र की व्यवस्था;

(iv) गैसीय ईंधन (सीएनजी, एलपीजी इत्यादि), इथनोल मिश्रण इत्यादि जैसे स्वच्छतर/वैकल्पिक ईंधनों की शुरूआत;

(v) स्वच्छतर उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना;

(vi) प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल, 2015 में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रारंभ किया गया;

(vii) 63 चयनित शहरों में भारत चरण IV (बीएस-IV) मानकों का क्रियान्वयन और वर्ष 2017 तक बीएस-IV का सार्वभौमिकरण;

(viii) अप्रैल, 2020 तक बीएस-IV ईंधन मानकों की जगह सीधे बीएस-VI ईंधन मानक लागू करने का निर्णय लिया जाना;

(ix) प्रदूषणकारी उद्योगों पर कर लगाना और मिश्रित ईंधन तथा विद्युत चलित वाहनों को बढ़ावा देना;

(x) नगरीय ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट सहित सभी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में व्यापक संशोधनों को अधिसूचित करना;

(xi) विनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों संबंधी अधिसूचना;

(xii) पत्तियां, बायोमास, नगरीय ठोस अपशिष्ट जलाने पर रोक;

(xii) मेट्रो, बसों, ई-रिक्शा के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के साथ-साथ कार पूलिंग, नियंत्रणाधीन प्रदूषण, लेन अनुशासन, वाहन-रख-रखाव को बढ़ावा देना;

(xiv) उद्योगों से होने वाले प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु मौजूदा पर्यावरण मानकों का संशोधन और नए मानकों का प्रतिपादन;

(xv) दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर अन्य राज्यों की सरकारों के साथ अधिकारी और मंत्रालय स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें करना;

(xvi) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत निर्देश जारी करना;

(xvii) प्रमुख उद्योगों द्वारा ऑन-लाईन सतत (24x7) निगरानी उपकरणों की स्थापना।

*****